संख्या-21/2018/595/38-6-18-01(पीएमएजीवाई)/18टीसी

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव]
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक-12 नवम्बर, 2018**

विषय:- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अनुदान सं0-83 में हुई अनुपूरक बजट व्यवस्था से धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, ग्राम्य विकासके पत्रांक-833/कार्यक्रम अनु0/पी0ए0जी0 आई0/2018-19, दि0-24.09.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत आदेश सं0-16015/07/2015सीसी, दि0-28.06.2018 द्वारा प्रदेश के 50 नए ग्रामों में व्यय हेतु धनराशि रू0-185.00 लाख अवमुक्त की गयी है।राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में पी0एम0ए0जी0वाई0 योजना हेतु अनुदान सं0-83 में हुयी अनुपूरक बजट व्यवस्थारूरू0-185.00 लाख के सापेक्ष रू0-185.00 लाख(रूपये एक करोड पच्चासी लाख मात्र) को आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गाईडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में भारत सरकार के पत्र सं0-16015/07/2015-सीसी, दि0-28.06.2018 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि को यदि आहरित कर किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो ब्याज की धनराशि को

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।

7- आंकडों की शुद्धता तथा योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

8- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दि0-30.03.2018 में दिये गये निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4515अन्यग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना(के0-100/रा0-00)-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0ई0-1039/दस-2018, दि0-06.11.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-21/2018/595(1)/38-6-2018 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/वित्त(लेखा अनुभाग-1)
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-2/3 नियोजन अनुभाग-4
10- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in